उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 81/2011-12

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0 पी0 केस नं0–1/2011–12 में दिनांक 17.11.2011 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी – (1) श्री रवि सरदार, पिता–स्व0 बोजाय सरदार, ग्राम–जुगसलाई, थाना–जुगसलाई, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iii) प्रतिवादी – (1) श्री विष्णु दत्ता, ग्राम–जुगसलाई, थाना–जुगसलाई, जिला–पूर्वी सिंहभूम, (2) अंचल अधिकारी, जमशेदपुर।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–

मौजा–जुगसलाई, वार्ड नं0–2, खाता नं0–119, प्लॉट नं0–588 (a) रकवा–0.00.80 हे0, (b) रकवा–0.00.37 हे0, (c) रकवा–0.02.07 हे0, (d) रकवा–0.00.59 हे0, कुल रकवा–0.03.83 हेक्टर।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 04.01.2012 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-1/2011-12 में दिनांक 17.11.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी श्री रवि सरदार, पिता–स्व0 बोजाय सरदार, ग्राम–जुगसलाई, थाना–जुगसलाई, जिला–पूर्वी सिंहभूम द्वारा दाखिल किया गया है।

2. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 04.01.2012 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

3. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा आर0 पी0 केस नं0–1/2002–03 को निम्न न्यायालय से मंगाने हेतु दिनांक 26.09.2012 को दाखिल आवेदन का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 03.10.2013 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 03.10.2013 को दाखिल Rulings का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 26.12.2013 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

7. प्रतिवादी श्री विष्णु दत्ता द्वारा दिनांक 21.08.2014 को दाखिल written argument का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 13.01.2015 को दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

9. निम्न न्यायालय द्वारा भू वापसी केस नं0–1/2011–12 में दिनांक 17.11.2011 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है कि "उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन तथा पूर्व में

इस न्यायालय के भूमि वापसी वाद संख्या–1/2002–03 श्री रवि सरदार –बनाम– विष्णु दत्ता एवं अन्य में मौजा–अधिसूचित क्षेत्र जुगसलाई, वार्ड नं0–2, खाता नं0–119, प्लॉट नं0–588 a, b, c, d रकवा–0.00.80, 0.00.37, 0.02.07, 0.00.07 भूमि दिनांक 30.08.2008 को पारित आदेश के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस न्यायालय से प्रश्नगत भूमि पर पुनः आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि यह वाद Resjudicata के अन्तर्गत है। तदनुसार इस वाद का अग्रेतर कार्रवाई बिना दोष गुण के समाप्त की जाती है।"

प्रश्नगत भूमि से ही सम्बन्धित एक अन्य मामला आर0 पी0 केस नं0 01/2002–03 में निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक 30/01/2008 को पारित आदेश में उल्लेखित है कि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, आवेदक का भूमि वापसी से संबंधित आवेदन पत्र, विपक्षी के लिखित कारण पृच्छा, दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल खतियानी रैयत वीजन सरदार एवं अन्य ने निबंधित केवाला सं0 1713, दिनांक 26.06.1949 के माध्यम से पुराना प्लॉट सं0–400 को वारीयत सिंह ने प्रश्नगत भूमि को विक्रय किये। वारीयत सिंह सिख जाति के थे। वे उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर शान्ति पूर्ण ढंग से निवास कर रहे थे। वारीयत सिंह ने निबंधित केवाला सं0 141 दिनांक 24.01.1950 के माध्यम से प्रश्नगत भूमि को चिरंजी लाल को विक्रय किये। चिरंजी लाल की मृत्यु के बाद उनका पुत्र विश्मबर दास एवं पत्नी शान्ति देवी उक्त भूमि पर दखलकार हुये। विश्मबर दास की मृत्यु के बाद उनका पुत्र स्वदेश कुमार छात्ररथ, मनोहर लाल छात्ररथ, कृष्णा लाल छात्ररथ, शिव कुमार छात्ररथ ने निबंधित केवाला सं0 3922 दिनांक 16.07.2001 द्वारा प्रश्नगत भूमि को विष्णु दत्ता पिता केनाराम दत्ता, श्रीमती सविता दत्ता पति विष्णु दत्ता से विक्रय किये जो इस वाद में विपक्षी है। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर आवासीय मकान है। प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1949 से ही गैर आदिवासी का दखल कब्जा है तो अन्तरण की अवधि 52 वर्षों से अधिक हो जाती है और वाद कालबाधित अवधि के उपरान्त दायर किया गया। प्रश्नगत भूमि पर गैर आदिवासी का स्वामित्व विगत 52 वर्षों से अधिक समय से है। आवेदक काफी लम्बे अवधि से अनुपस्थित रह रहे हैं, यदि किसी तिथि पर उपस्थित भी हुए है तो उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप यह वाद अनावश्यक रूप से लम्बित चला आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने 2006(4), जे0एल0जे0आर0 पेज नं0–146, 2004(2) जे0सी0आर0 पेजसं0–537, 2005(4) 2006(4) जे0एल0जे0आर0 पेज नं0– 62 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2004(4) जे0एल0जे0आर0 पेज नं0–109 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा–71 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आवेदन समर्पित करने की तिथि 30 वर्षों के पश्चात कालबाधित माना जाय। पुनः मिटकू कोरी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार CWJC No-645/1979(R) दिनांक 9.5.1985 में माननीय उच्च न्यायालय ने होल्ड किया है कि "It must be held that the application filed by respondent no. 5 u/s 71(A) of C.N.T act after a period of 35 years, was barred by limitation and it could not be

14/6/16

entertained." इसके अलावा John Lakra vrs. State of Bihar 1993(1) PLJR 368 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश करने वाले न्यायालय के लिये भी दिशा निर्देश तय कर दिया है कि "Before passing order u/s 71(A) or under section 48 C.N.T act the authority under the act must satisfy himself whether the application is within time or barred by limitation." प्रश्नगत वाद कालबाधित अवधि के उपरान्त दायर किया गया है तीस वर्षों के अवधि के पश्चात दायर होने वाले आवेदन पर सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के उक्त दिशा निदेश के आलोक में नहीं की जा सकती है। तदनुसार इस वाद का अग्रेतर कार्रवाई बिना दोष गुण समाप्त की जाती है।

10. निम्न न्यायालय में आवेदक/अपीलार्थी श्री रवि सरदार विवादित भूमि का restoration of possession के लिए दाखिल आवेदन/पत्र का अवलोकन किया।

11. निम्न न्यायालय अभिलेख में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1073, दिनांक 07.05.2011 के आलोक में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक–831, दिनांक 21.05.2011 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि आदिवासी रैयत से सम्बन्धित है। विपक्षी द्वारा अवैध रूप में दखल–कब्जा किया गया है जो 46 CNT Act का उल्लंघन प्रतीत होता है अतः विपक्षी के विरूद्ध भूमि वापसी वाद चलाया जा सकता है।

12. निम्न न्यायालय में विपक्षी/प्रतिवादी श्री विष्णु दत्ता द्वारा दिनांक 02.09.2011 को दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया।

13. निम्न न्यायालय में आवेदक/अपीलार्थी श्री रवि सरदार द्वारा दिनांक 10.09.2011 को दाखिल written argument एवं कागजातों का अवलोकन किया।

14. एस0ए0आर0 अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश, जाँच प्रतिवेदन, कारण–पृच्छा, written argument, सम्पूर्ण अभिलेख उसमें उपलब्ध कागजातों संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.01.2015 को हाल सर्वे वर्ष 1973 के खतियान का दाखिल सत्यापित प्रति के अवलोकन किया।

(i) हाल सर्वे खतियान में प्रश्नगत भूमि वीजाम सरदार, पिता–राखल सरदार के नाम से दर्ज है एवं अभ्युक्ति कॉलम में शिकमी दखलकार सुदेश कुमार इत्यादि, शिकमी खाता नं0–112 अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि आदिवासी रैयत की भूमि है।

(ii) Record of Right के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–84 (1), (2) एवं (3) में यह प्रावधानित है, कि (1) "In any suit or other proceedings in which a record-of-rights prepared and published under this Chapter or a duly certified copy thereof or extract therefrom is produced, such record-of-rights shall be presumed to have been finally published unless such publication is expressly denied and a certificate, signed by the Revenue Officer, or by the deputy commissioner of any district in which its local area, estate or tenure or part thereof to which the record-of-rights relates is wholly or partly

14/6/16

situate, stating that the record-of-rights has been finally published, under this Chapter shall be conclusive evidence of such publication. (2) The [State] Government may, by notification, declare with regard to any specified area, that a record-of-rights has been finally published for every village included in that area; and such notification shall be conclusive evidence of such publication. (3) Every entry in a record-of-rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct until it is proved, by evidence, to be incorrect."

(iii) प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को शिकमी दखलकार से क्रय की गयी है जबकि शिकमी रैयत को भूमि का हस्तानान्तरण करने का अधिकार नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन स्वीकार करते हुए मामला को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय मामला में स्वच्छ जाँच कराकर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् स्वच्छ आदेश पारित करें।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 18.02.2016 को समर्तित substitution आवेदन एवं उसके साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया। substitution आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 14.06.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

14/6/16

उपायुक्त

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

14/6/16

उपायुक्त

पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।